प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल – ग्राम पंचायत समेजा

सीतो बनाम जेठाराम आदि
अन्तर्गत धारा 251.ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्र.सं. 51 / 2021 जीसीएमएस आईडी : 2021 / 959

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
0.05.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थीया जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पेशी में लेकर सहमति अनुसार निर्णय फरमाने हेतु निवेदन करने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैंप ग्राम पंचायत समेजा में पेशी में ली गयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने स्टाम्प पत्र पर अमरजीत कौर आदि का शपथ पत्र बाबत सहमति रास्ता स्वीकृत करने का पेश किया। शामिल मिसल रहे। प्रार्थी निवेदन किया हैं कि प्रकरण में प्रस्तुत सहमति आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी चक 9 टीके मु.नं. 31 कि.नं. 18 / 2, 19 ता 25 कुल 1.898है. भूमि में पंहुच के लिए अप्रार्थी जेठाराम आदि की भूमि मु.नं. 31 कि.नं. 1,10,11 में पश्चिम पासा डेढ डेढ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया था। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1038 दिनांक 17.05.2022 एवं राजस्व / 2022 / 1441 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा प्रार्थीया के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं हैं का अंकन करते हुए मु.नं. 31 कि.नं. 1 / 0.013, 10 / 0.013, 11 / 0.012 कुल 0.038है. रास्ता स्वीकृत करने अनुशंषा की। दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थीया मु.नं. 31 के कि.नं. 5–6–15–16 के सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मु.नं. 31 के कि.नं. 5–6–15–16 में 8 फुट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा मु.नं. 31 कि.नं. 5–6–15–16 के खातेदारान की सहमति बाबत स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रकरण में मु.नं. 31 कि.नं. 5–6–15–16 के खातेदारान की सहमति के संबंध में रास्ता बाबत तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 23 / 59 दिनांक 06.01.2023 एवं उपतहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2022 / 673 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा प्रार्थी को रास्ता की अत्यंत आवश्यक्ता हैं। प्रार्थी को आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहमति अनुसार चक 9 टीके मु.नं. 31 कि.नं. 5 / 0.011, 6 / 0.012, 15 / 0.012, 16 / 0.012है. रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की हैं। अतः रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 23 / 59 दिनांक 06.01.2023 एवं उपतहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2022 / 673 दिनांक 28.12.2022 एवं प्रार्थी व चक 9 टीके मु.नं. 31 कि.नं. 5,6,15,16 के खातेदारान की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 9 टीके मु.नं. 31 कि.नं. 5 / 0.011, 6 / 0.012, 15 / 0.012, 16 / 0.012है. पूर्वी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (ज[illegible] प्र[illegible] चन्द्रशेखर) उप[illegible] अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	697 6/6/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:02 IST
Reason: SelfAttested